भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2875
17 दिसंबर, 2025 के लिए प्रश्न

फर्जी राशन कार्ड

2875. श्री ईश्वरस्वामी के.:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या कई पात्र बीपीएल व्यक्तियों को उनकी पात्रता के अनुसार राशन कार्ड जारी नहीं किए गए हैं और उनके लिए निर्धारित लाभों का दुरुपयोग अन्य व्यक्तियों द्वारा फर्जी कार्डों का उपयोग करके किया जा रहा है;
(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;
(ग) क्या सरकार ने फर्जी कार्डों को समाप्त करने और सभी पात्र परिवारों को कार्ड जारी करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कोई अभियान शुरू किया है/शुरू करने का प्रस्ताव है; और
(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम हुए?

उत्तर
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री
(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क) से (घ): राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए) के अंतर्गत संचालित लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) का संचालन केंद्र और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी के तहत किया जाता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के भीतर खाद्यान्न आवंटन, पात्र लाभार्थी परिवारों की पहचान, उन्हें राशन कार्ड जारी करना, टीपीडीएस के तहत पात्र लाभार्थियों को खाद्यान्न वितरण, उचित दर दुकानों (एफपीएस) के संचालन की निगरानी और पर्यवेक्षण आदि की परिचालन संबंधी जिम्मेदारियां संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की हैं।

...2/-

एनएफएसए के तहत, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के माध्यम से अत्यधिक सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्राप्त करने वाले लाभार्थियों का दायरा पूर्ववर्ती गरीबी अनुमानों (गरीबी रेखा से ऊपर/गरीबी रेखा से नीचे) से अलग कर दिया गया है और इसे केवल दो श्रेणियों, अर्थात् अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) और प्राथमिकता वाले परिवारों (पीएचएच) के तहत जनसंख्या अनुमानों से जोड़ा गया है।

वर्ष 2024-25 के दौरान, सरकार ने एक व्यापक डेटा विश्लेषण अभ्यास किया जिसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) डेटाबेस पर कई प्रमुख प्रदर्शन सूचकांक (केपीआई) - जैसे 100 वर्ष से अधिक आयु के लाभार्थी, निष्क्रिय राशन कार्ड, डुप्लिकेट राशन कार्ड और एकल-सदस्यीय राशन कार्ड वाले 18 वर्ष से कम आयु के लाभार्थी पीडीएस डेटाबेस में शामिल किए गए। इस डेटाबेस का मिलान अन्य सरकारी एजेंसियों [आधार, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच), कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी)] के डेटासेट से भी किया गया।

इस प्रक्रिया के तहत लगभग 8.51 करोड़ लाभार्थियों (2024 से 2025) की पहचान की गई और इन लाभार्थियों की सूची संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा की गई ताकि वे जमीनी स्तर पर सत्यापन कर सकें और इन मामलों में उचित कार्रवाई कर सकें। अब तक, संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने उपरोक्त चिह्नित लाभार्थियों में से 2.12 करोड़ लाभार्थियों को सूची से हटा दिया है, जिससे प्रतीक्षा सूची में शामिल पात्र लाभार्थियों के लिए जगह बन गई है।
